

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण संख्या:- 46/22

दायर दिनांक:- 29.06.2022

जीसीएमएस नं. 2022/382

उनवान

अमरवती देवी पुत्री भगवत पत्नि राजकुमार जाति जाटव निवासी ग्राम मिल्कीपुरा
हाल अम्बेडकर कॉलोनी मुरलीपुरा करौली जिला करौली राजस्थान

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—अप्रार्थी—09

प्रार्थना पत्र बाबत धारा 136

निर्णय

दिनांक:-

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 136 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एव वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एव वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एव वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एव वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 46/22 अमरवती बनाम सरकार अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायलय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली